

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 542 सन् 2026

भोला नाथ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भोले राम

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री बी. राम तथा राज्य की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने यह वक्तव्य दिया कि उन्हें पूर्ण निर्देश प्राप्त हैं और वे मामले की बहस करने की स्थिति में हैं। उन्होंने कोई प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं किया तथा यह भी कहा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही रिट याचिका का निस्तारण किया जा सकता है।
3. पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 01.09.1988 को कांस्टेबल (पी ए सी) के पद पर हुई थी। बाद में उनका स्थानांतरण झांसी कर दिया गया। याचिकाकर्ता प्रयागराज या उसके समीपवर्ती जिलों में स्थानांतरण चाहते हैं। चूंकि उनके इस अनुरोध पर विचार नहीं किया गया, उन्होंने रिट-ए संख्या 14384 सन् 2025 दायर की, जिसे इस निर्देश के साथ निस्तारित किया गया था कि उनके प्रतिवेदन पर निर्णय लिया जाए। तत्पश्चात उनका प्रतिवेदन दिनांक 10.12.2025 को निरस्त कर दिया गया।
5. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता का गृह जनपद कौशांबी है और उनकी माता गंभीर रूप से बीमार हैं तथा उनकी गतिशीलता समाप्त हो चुकी है।
7. इसके विपरीत, स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा जन्म स्थान को प्रयागराज से कौशांबी में संशोधित करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, अतः उनके प्रकरण पर विचार किया जाएगा।
8. बार में प्रस्तुत तर्कों को सुनने तथा प्रतिवादी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा जन्म स्थान संशोधन हेतु आवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता द्वितीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक समग्र प्रतिवेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति एवं आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करें। उक्त प्राधिकारी प्रमाणित

प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विधि के अनुसार निर्णय लें।

9. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है तथा उन्हें परिशिष्ट 'बी' के रूप में अंकित किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

एन.एस.राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“Translated, Corrected & Authenticated by me” Smt. Arti Raje Advocate AOR- A/A-1068/2012